ग्राम पंचायत पुजारली न0-3, विकास खण्ड रोहड़ु, जिला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/4/2015 से 31/3/2018 तक

1 **प्रस्तावना**

(क) 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्धारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 को सोंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत पुजारली न0-3, विकास खण्ड रोहड़ु, जिला शिमला के अवधि 4/2015 से 3/2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्धारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

(i) प्रधान

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री मति सुनीता खिमटा	01.04.2015 से 22.01.2016 तक
2	श्री मति सरिता जस्टा	23.01.2016 से 31.3.18 तक

(ii) सचिव

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री ब्रजेश कुमार	1.4.2015 से 31.10.2017 तक
2	श्री राम कृष्ण	1.11.2017 से 31.1.2018 तक
3	श्री प्रेम सिंह	01.02.2018 से 31.3.2018 तक

(ख) गम्भीर अनियमितता का सार

ग्राम पंचायत पुजारली न0-3 के अवधि 1/4/2015 से 31/3/2018 तक के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र0 सं0	अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि लाखों में (₹)
1	पंचायत के खाता "ख" से अर्जित ब्याज की राशि को खाता "क" में अन्तरित न किया जाना	6	0.61
2	गृहकर राजस्व की वसूली शेष पाया जाना	7	0.26
3	रोकड़ बही में लेखांकित प्राप्त आय की सम्बन्धित को रसीदें जारी न करना	8	14.50
4	विभिन्न मदों की खरीद एवं निर्माण कार्यों,Must roll का नकद भुगतान किये जाने के कारण दुर्विनियोजन की सम्भावना बारे।	9	11.81
5	दिनांक 31.03.2018 तक अनुदान की राशि का उपयोग न किया जाना।	11	14.76
6	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही अनियमित व्यय किया जाना।	12	10.86
7	निर्माण कार्यों हेतु क्रय किए गए सामान की खपत न करना	13	0.16
8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक स्टोर वस्तुओं का क्रय करना	14	16.05
9	क्रय किए गए स्थाई एवं अस्थाई भण्डार वस्तुओं की भंडारण पुस्तकों में प्रविष्टि न किया जाना	15	8.78
10	व्यय वाउचरो को सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित किए बिना ही अनियमित भुगतान करना	16	14.95
11	विभिन्न व्यय वाउचरो को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना	17	1,58

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत पुजारली न0-3, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला के अवधि 1/4/2015 से 31/3/2018 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण, श्री रविन्द्र सिंह,

अनुभाग अधिकारी द्धारा अवधि 28.09.2018 से 5.10.2018 तक के दौरान ग्राम पंचायत टिक्कर में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वितीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2015-16	11/2015	8/2015
2016-17	3/2017	3/2017
2017-18	10/2017	8/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्धारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्धारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत पुजारली न0-3, विकास खण्ड रोहड़ु, जिला शिमला के अवधि 4/2015 से 3/2018 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-172/18 दिनांक 5.10.2018 द्धारा सचिव, ग्राम पंचायत, पुजारली न0-3 से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

सचिव,ग्राम पंचायत पुजारली न0-3 द्धारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार MG NREGA व 14th Finance Commission के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अनुदानों और Own Sources की आय/व्यय को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किया गया है तथा साथ ही बैंक खातों में तदानुसार जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में लेखांकित आय व्यय के सम्बन्ध में Ledger Accounts नहीं बनाए गए है। Ledger Accounts नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अन्य अनुदानों और Own Sources की आय, व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायत के अवधि 4/2015 से 3/2018 तक के लेखाओं की वित्तीय

स्थिति निम्न प्रकार से है तथा जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **"परिशिष्ट- 1"** पर दिया गया है।

वितीय वर्ष	**आरम्भिक शेष (₹)**	**प्राप्तियां (₹)**	**ब्याज (₹)**	**कुल योग (₹)**	**व्यय (₹)**	**अन्तशेष (₹)**
2015-16	1116294.75	4311195	41257	5468746.75	4355847	1112899.75
2016-17	1112899.75	4048023	69749	5230671.75	3211729	2018942.75
2017-18	2018942.75	8069321	98425	10186688.75	8416294	1770394.75

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न किया जाना

ग्राम पंचायत पुजारली न0-3 की रोकड़ बही के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्धारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अत: पंचायत द्धारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना उक्त नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-171/2018 दिनांक 3.10.2018 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या पुजारली न0-3-1/2018 दिनांक 5.10.2018 द्वारा सूचित किया कि भविष्य में इस बारे नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

6 पंचायत के खाता "ख" में अर्जित ब्याज ₹0.61 लाख को खाता "क" में अन्तरित न किया जाना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्धारा खाता **"ख"** में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि को पंचायत निधि के स्व: संसाधनों के खाता **"क"** में अन्तरित किया जाना अपेक्षित हैं। परन्तु अंकेक्षण में पंचायत के खातों की पड़ताल करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता **"ख"** में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की **₹61172** को खाता **"क"** में अन्तरित नहीं किया गया था। अत: इस अनियमितता के

बारे में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुये, खाता "**ख**" में जमा अर्जित ब्याज की राशि को खाता "**क**" में अन्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए:-

अवधि 04/2015 से 03/2018 तक के दौरान खाता "ख" में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि का विवरण

Year	Name of GIA	Amount of Interest Earned (₹)
2016-17	14th Finance Commission	30955
2017-18	14th Finance Commission	30217
	Total	**₹61172**

7. गृहकर राजस्व ₹0.26 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्धारा **परिशिष्ट-2** में दिये गए विवरणानुसार दिनांक 31.03.2018 तक गृहकर राजस्व राशि ₹26082 लाख वसूली हेतु शेष थी। अत: उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-171/2018 दिनांक 3.10.2018 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या पुजारली न0-3-1/2018 दिनांक 5.10.2018 द्वारा सूचित किया कि भविष्य में इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

8. रोकड़ बही में लेखांकित प्राप्त आय ₹14.50 लाख की सम्बन्धित को रसीदें जारी न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 के अनुसार जब कभी भी पंचायत द्धारा किसी भी प्रकार की आय प्राप्त की जायेगी उस स्थिति में सचिव द्धारा विहित फार्म-3 में राशि प्राप्ति की रसीदें जारी किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया निम्न विवरण अनुसार अवधि 04/2015 से 03/2018 तक के दौरान **₹1450300** की प्राप्त आय की सचिव द्धारा सम्बन्धित विभाग को कोई रसीद जारी नहीं की गई थी। अत: इस अनियमितता के बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए प्राप्त आय की सम्बन्धित विभाग को रसीद जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-171/2018 दिनांक 3.10.2018 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या पुजारली न0-3-1/2018 दिनांक 5.10.2018 द्वारा

सूचित किया कि भविष्य में इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी:-

Date/month of Receipt	Cash Book Page no.	Amount (₹)	From Where Amount Received
17.10.2015	26	5550	D.P.O Shimla
19.10.2015	26	6000	D.P.O Shimla
10.11.2015	26	16200	Ex. En. I.P.H Rohru
17.11.2015	27	37500	B.D.O Rohru
9.3.2017	42	22350	D.P.O Shimla
10.3.2017	42	22350	D.P.O Shimla
15.3.2017	43	504000	B.D.O Rohru
16.3.2017	43	65000	B.D.O Rohru
16.3.2017	43	100000	B.D.O Rohru
11.10.2017	55	12000	D.P.O Shimla
13.10.2017	55	22350	D.P.O Shimla
17.10.2017	55	147000	B.D.O Rohru
17.10.2017	55	490000	B.D.O Rohru
Total		**1450300**	

9 **विभिन्न मदों की खरीद एवं निर्माण कार्यों, Muster roll भुगतान हेतु ₹11.81 लाख की राशि का नकद भुगतान किये जाने के कारण दुर्विनियोजन की सम्भावना बारे**

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17(2) के अनुसार ₹1000 से अधिक राशि का भुगतान बैंक चैक द्धारा सम्बन्धित व्यक्ति को किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न व्ययों वाऊचरों, बैंक पास बुकों और चैक बुकों की **Counterfoils** की पड़ताल करने पर पाया गया कि **₹1181000** की राशि के व्यय वाऊचरों/Must roll का भुगतान बैंक चैक द्धारा सीधे प्राप्तकर्ता को न करके पंचायत प्रधान, विभिन्न व्यक्तियों को किया दर्शाया गया था। अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि व्यय वाऊचरों पर तो भुगतान बैंक चैक संख्या अंकित करके बैंक चैक द्धारा ही दर्शाया गया था जबकि बैंक पास बुकों और चैक बुकों की **Counterfoils** के अनुसार सभी बैंक चैक पंचायत प्रधान/विभिन्न व्यक्तियों के नाम जारी किए गए थे, तत्पश्चात उनके द्धारा भुगतान विभिन्न फ़र्मों को नगद किया गया, ऐसे सभी भुगतानों का विवरण

संलग्न **परिशिष्ट– 3** पर दिया गया हैं। बैंक चैक को सम्बन्धित व्यक्ति के नाम जारी न करके अपितु पंचायत प्रधान ,विभिन्न व्यक्तियों के नाम जारी करने के कारण भुगतान की गई राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता । अत: नियमों की अनदेखी करके भुगतान बैंक चैक द्धारा सीधे प्राप्तकर्ता व्यक्ति को न करके पंचायत प्रधान /,विभिन्न व्यक्तियों के नाम जारी किए जाने को या तो न्यायोचित ठहराया जाए। अन्यथा इन सभी भुगतानों की सत्यता की छानबीन विभागीय तौर पर की जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में सभी भुगतान नियमानुसार सीधे प्राप्तकर्ता के नाम जारी बैंक चैक से ही किए जाने भी सुनिश्चित किए जाए । इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-171/2018 दिनांक 3.10.2018 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या पुजारली न0–3–1/2018 दिनांक 5.10.2018 द्वारा सूचित किया कि भविष्य में इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

10. बजट प्राक्कलन तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2000 के नियम 37 के अनुसार विहित फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्धारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था न ही अवधि 1.4.2015 से 31.8.2018 तक कार्यवाही पुस्तिका को लिखा गया था जोकि एक गंभीर अनियमितता है इस प्रकार सचिव द्धारा निर्धारित फार्म – 11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किए जाए इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-171/2018 दिनांक 3.10.2018 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या पुजारली न0–3–1/2018 दिनांक 5.10.2018 द्वारा सूचित किया कि भविष्य में इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

11. अनुदानों की राशि ₹14.76 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्धारा अनुदानों और स्व: स्रोत्रों के सम्बन्ध में **परिशिष्ट–4** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2018 तक कुल **₹1476260** की राशि

उपयोग हेतु शेष थी। अतः अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए वर्णित अनुपयोग अनुदानों की राशि को सक्षम अधिकारी से समय अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए । इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-171/2018 दिनांक 3.10.2018 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या पुजारली न0-3-1/2018 दिनांक 5.10.2018 द्वारा सूचित किया कि भविष्य में इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

12. निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹10.86 लाख का अनियमित व्यय करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 से अधिक के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार करके ही किया जाना अपेक्षित है । निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाऊचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्धारा **"परिशिष्ट-5"** में वर्णित निर्माण कार्यों पर ₹**1086653** का व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया था, जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण गम्भीर अनियमितता है। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए उक्त वर्णित व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरांत अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए तथा भविष्य में निर्माण कार्यों पर व्यय नियमनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया/औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-171/2018 दिनांक 3.10.2018 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या पुजारली न0-3-1/2018 दिनांक 5.10.2018 द्वारा सूचित किया कि भविष्य में इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

13 निर्माण कार्य हेतु क्रय किए गए ₹0.16 लाख के सामान की खपत न करना

अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्य से संबन्धित व्यय वाउचर व माप पुस्तिका का अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्धारा **परिशिष्ट-6"** में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्य हेतु क्रय किए` ₹16591 के सामान की न तो निर्माण कार्य हेतु खपत की गई थी और न ही सामान को स्टॉक रजिस्टर में शेष दर्शाया गया था जिसके कारण उक्त

सामान के दुरुपयोग की संभावना से भी इनकार नही किया जा सकता । अत: निर्माण कार्य हेतु क्रय किए **₹16591** के सामान को निर्माण कार्य हेतु खपत न करने व सामान को स्टॉक रजिस्टर में शेष न दर्शाये जाने का छानबीन उपरान्त पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹6959 की राशि की वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-171/2018 दिनांक 3.10.2018 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या पुजारली न0-3-1/2018 दिनांक 5.10.2018 द्वारा सूचित किया कि भविष्य में इस बारे छानबीन करके नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

14 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹16.05 लाख के स्टॉक/स्टोर वस्तुओं का क्रय करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्धारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **"परिशिष्ट-7"** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्धारा **₹1605283** की स्टॉक/स्टोर सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित व क्रय समिति गठित करके इत्यादि औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के प्रतिकूल होने के कारण गम्भीर अनियमितता है। अत: स्टॉक/स्टोर सामग्री का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये वर्णित अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त ही स्टॉक/स्टोर सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए । इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-171/2018 दिनांक 3.10.2018 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या पुजारली न0-3-1/2018 दिनांक 5.10.2018 द्वारा सूचित किया कि भविष्य में इस बारे विहित नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी

15 क्रय किए गए ₹8.78 लाख के स्थाई एवं अस्थाई भण्डार वस्तुओं की भंडारण पुस्तकों में प्रविष्टियां न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1)(a,b,c एवं d) के अंतर्गत पंचायत द्धारा क्रय की गई भण्डार वस्तुओं को उसकी स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25,26,27 एवं 28 में

लेखांकन किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण में के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्धारा अंकेक्षण अवधि 4/2015 से 3/2018 तक के दौरान क्रय की गई **₹878783** की विभिन्न मदों, जिनका विवरण **"परिशिष्ट–8"** में दिया गया है, को क्रय करने के उपरांत भण्डार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसी स्थिति में वस्तुओं के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नही किया जा सकता। अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए । इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-171/2018 दिनांक 3.10.2018 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या पुजारली न0–3–1/2018 दिनांक 5.10.2018 द्वारा सूचित किया कि भविष्य में इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

16 व्यय वाउचरों को सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित किए बिना ही ₹14.95 लाख का भुगतान करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1),(2) के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्धारा किए गए सभी प्रकार के भुगतान को ग्राम पंचायत प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्धारा सत्यापित किया जायेगा। अंकेक्षण में अवधि 4/201 5 से 3/201 8 तक के दौरान **परिशिष्ट–9** में वर्णित ₹1495754 के भुगतान बिलों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि भुगतान, को ग्राम पंचायत प्रधान द्धारा सत्यापित नहीं किया गया था, और न ही भुगतान बिल पर पंचायत प्रस्ताव संख्या अंकित की गई थी, जोकि अनियमित है I अतः वर्णित अनियमितता जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-171/2018 दिनांक 3.10.2018 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या पुजारली न0–3–1/2018 दिनांक 5.10.2018 द्वारा सूचित किया कि इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी I

17 ₹1.58 लाख के भुगतानों के सन्दर्भ में वाऊचर/ अभिलेख इत्यादि अंकेक्षण को उपलब्ध न करवाया

अंकेक्षण अवधि के दौरान किए गए **₹158850** की राशि के विभिन्न भुगतान, जिनका विवरण **परिशिष्ट – 11** पर दिया गया हैं, अंकेक्षण दल को आवश्यक जाँच हेतु

उपलब्ध नहीं करवाए गए। इस संदर्भ में सचिव ग्राम पंचायत को इन सभी व्यय वाऊचरो को आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत करने बारे आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई सूचना अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं की गई। अत: इस सम्बन्ध में उचित छानबीन करके नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अम्ल में लाई जाए और वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए । इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-171/2018 दिनांक 3.10.2018 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या पुजारली न0-3-1/2018 दिनांक 5.10.2018 द्वारा सूचित किया कि भविष्य में इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

18 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्धारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्धारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित है। अत: नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए । इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-171/2018 दिनांक 3.10.2018 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या पुजारली न0-3-1/2018 दिनांक 5.10.2018 द्वारा सूचित किया कि भविष्य में इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	मासिक बैंक समाधान विवरणी		15(1)
4	विभिन्न अनुदानों के खाते(Ladgers)	7	29(1)
5	क्लासीफाइड एबस्ट्रक्ट (Classified Abstract)	8	29(4)
6	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 एवं 26	72(1) (a&b)

9	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
10	कार्यवाही रजिस्टर (Minutes Register)	17	10 व 34

19. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत प्रधान द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-171/2018 दिनांक 3.10.2018 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या पुजारली न0-3-1/2018 दिनांक 5.10.2018 द्वारा सूचित किया कि भविष्य में इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

20. विविध अनियमितताए

(i) रोकड़ बही का लेखांकन नियमानुसार न किया जाना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की प्राप्त आय और अनुदानों को बैंक में दो खातों में जमा करवाया जायेगा। यह खाते पंचायत फ़ंड - A और पंचायत फ़ंड -B होगे। पंचायत फ़ंड -A में ग्राम पंचायत के स्व: स्रोत्र आय जमा होगी जबकि पंचायत फ़ंड -B में अनुदानों से सम्बन्धित आय जमा की जायेगी। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत की आय-व्यय और अनुदानों के लेखांकन हेतु निम्न रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है, तथा साथ ही प्राप्त स्व: स्रोत्र आय और विभिन्न अनुदानों को विभिन्न बैंक खातों में तदानुसार ही जमा करवाया गया था, जबकि उपरोक्त नियम के अनुसार दो बैंक खाते खोले जाने थे और पंचायत फ़ंड - A और पंचायत फ़ंड -B के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन किया जाना चाहिए था। अत: पंचायत फ़ंड - A और पंचायत फ़ंड -B के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

General Cash Book	इस रोकड़ बही में Own Sources और विभिन्न GIA (Other than

	14thFinance Commission, एवं MANGERGA) का लेखांकन किया गया था।
Cash Book for 14thFinance Commission	इस रोकड़ बही में 14thFinance Commission से सम्बन्धित प्राप्ति एवं व्यय का लेखांकन किया गया था।

(ii) ग्राम पंचायत **पुजारली न0-3** द्धारा हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 से 3) के अनुसार वर्ष के अंत में रोकड़ बही में Cash in hand के साथ सम्बन्धित बैंक खातों का कोई विवरण नहीं दिया गया था। अत: सभी रोकड़ बहियों का निर्माण उपरोक्त वर्णित नियम 7 के अनुसार न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iii) मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेखों की अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 04/2015 से 03/2018 तक के दौरान मनरेगा से सम्बन्धित प्राप्त अनुदानों और भुगतानों को रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में सचिव ग्राम पंचायत द्धारा मौखिक रूप से अंकेक्षण को सूचित किया कि इस अवधि के दौरान समस्त लेन-देन जिलाधीश कार्यालय, शिमला/खण्ड विकास अधिकारी द्धारा सीधे तौर पर किया जाता हैं। अत: उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान रोकड़ बही का लेखांकन न किए जाने को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र अतिशीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(iv) खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण न किया जाना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्धारा अपनी समस्त आय व्यय का लेखांकन रोकड़ बही के साथ-साथ विहित फार्म -7 पर खाता बहियों में किया जाना भी अनिवार्य था, परन्तु सचिव ग्राम पंचायत द्धारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के लेखांकन हेतु विभिन्न खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण नहीं किया गया था जोकि अनियमित है । अत: नियम 29(1) के अनुसार खाता बहियों का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(V) हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार ग्राम पंचायत द्धारा अपनी समस्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु

विहित फार्म –8 पर Classified Abstract का निर्माण किया जाना अनिवार्य था, परन्तु सचिव ग्राम पंचायत द्धारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म –8 पर Classified Abstract का निर्माण नहीं किया गया था जोकि अनियमित है तथा जिसके अभाव में अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त आय और किए गए व्यय को बजट प्रावधानों के साथ मिलान किया जाना सम्भव न हो सका। अत: नियम 29(4) के अनुसार Classified Abstract का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(vi) ग्राम पंचायत द्धारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान है। सचिव, ग्राम पंचायत द्धारा सूचित किया गया कि अवधि 4/2015 से 3/2018 तक के दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम पंचायत **पुजारली न0–3** द्धारा नहीं बनाई गई थी जोकि अनियमित है । अत: नियम 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति न बनाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाए और कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(vii) ग्राम पंचायत की आय से सम्बन्धित विभिन्न अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत **पुजारली न0–3** द्धारा आय संग्रह के लिए जारी रसीद बुकों को स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित नहीं किया गया था। इस प्रकार रसीद बुकों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने के कारण अंकेक्षण में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि अंकेक्षण अवधि के दौरान जारी की गई सभी रसीद बुकों से प्राप्त आय को रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था अथवा नहीं ? अत: आय संग्रह हेतु जारी की गई रसीद बुकों को स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए साथ ही रसीद बुकों को जारी करते समय इसकी स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए।

21 **लघु आपति विवरणिका:-** यह अलग से जारी नहीं की गई थी तथा सभी लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान स्थल पर ही कर लिया गया था।

22 **निष्कर्ष:-** लेखों मे सुधार की नितांत आवश्यकता है

हस्ता/-
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं0 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्याः- फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(i)93/2018 खण्ड-1-8541-8544 दिनांक 31.12.18 शिमला-09

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रोहडू जिला शिमला हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत पुजारली नं0-3, विकास खण्ड रोहडू, जिला शिमला (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/-
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं0 0177-2620881